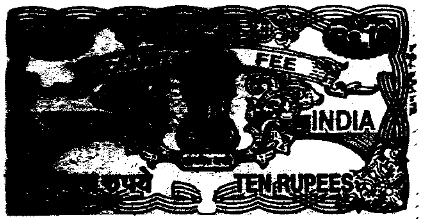

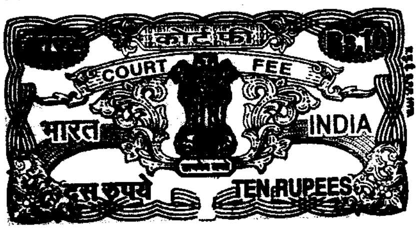

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर,

कैम्प भोपाल

प्रकरण क्र. : ....

01. रमेश आत्मज मंशाराम, वयस्क
02. बद्री प्रसाद आत्मज मंशाराम, वयस्क
निवासी ग्राम बड़नगर, तहसील नरसिंहगढ़,
ज़िला राजगढ़ .... प्रार्थीगण

विरूद्ध

अवधनारायण आत्मज चतुर्भज, वयस्क
निवासी ग्राम बड़नगर, तहसील नरसिंहगढ़,
ज़िला राजगढ़ .... प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध सीमांकन आदेश दिनांक 21.07.2009, जो प्रकरण क्र. 110/अ-12/2008-09 में टप्पा तहसीलदार, टप्पा कुरावर, तहसील नरसिंहगढ़, ज़िला राजगढ़ द्वारा पारित किया गया।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 354–पीबीआर/17 जिला राजगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1–3–2017	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह निगरानी तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 21–7–2009 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 24–1–17 को लगभग 8 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है और विलम्ब का कारण सीमांकन की जानकारी आवेदकगण को नहीं होना एवं अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील में नये अभिभाषक को नियुक्त करने पर यह तथ्य संज्ञान में आने पर कि सीमांकन आदेश के विरूद्ध निगरानी नहीं की गई है, इसलिये यह निगरानी उनकी सलाह के अनुसार प्रस्तुत की जाना बतलाई गई है, जो कि विलम्ब का समाधानकारक कारण नहीं है । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	